

**बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम,  
कौटिल्य नगर, पटना-14.**  
**अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या- 40 / 2016**

फोन नं- 2223727  
फैक्स नं- 2224529

1.	निविदाकर्ता का पदनाम	:	मुख्य अभियंता, पटना ।			
2.	निविदा कागजात बिक्री की अन्तिम तिथि एवं समय	:	11-07-2016 को अपराह्न 17.00 बजे तक ।			
3.	निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय	:	13-07-2016 को अपराह्न 15.00 बजे तक ।			
4.	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	:	13-07-2016 को 15.30 बजे अपराह्न से ।			
5.		:	परिमाण विपत्र का मूल्य मात्र शेड्यूल बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान पर, जो वापस नहीं किया जाएगा ।			
6.	परिमाण विपत्र की बिक्री का स्थान	:	(क) पुलिस निगम, मुख्यालय । (ख) पुलिस महानिदेशक-सह-पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, मुख्य सचिवालय, पटना । (ग) निविदा सम्बन्धित प्रमण्डल से भी बिक्री होगी ।			
7.	निविदा प्राप्ति का स्थान	:	1. (क) रु0 3.50 लाख से नीचे के कार्य की निविदा संबंधित प्रमण्डल में तथा उपर के कार्य की निविदा मुख्य अभियंता, पटना के कार्यालय में प्राप्त की जायगी । (ख) रु0 3.50 लाख से उपर के कार्य की निविदा पुलिस महानिदेशक-सह-पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, मुख्य सचिवालय, पटना ।			
8.	सभी निविदा एकल वीड पद्धति से प्राप्त की जायगी ।					
9.	निर्माण कार्य का व्यौरा	:				
क्रमांक	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रु. में)	अग्रधन की राशि रु. में।	परिमाण विपत्र का मूल्य रु0 में	कार्य समाप्ति की अवधि	श्रेणी (कैटेगरी)
1.	कटिहार जिलान्तर्गत बी0एम0पी0-7, कटिहार में बैरक सं0-4 का विशेष मरम्मति कार्य (पुनर्निविदा)	8.08	16200	1250	1 माह	पिछङ्ग वर्ग महिला
2.	सहरसा जिलान्तर्गत सिमरी बख्तियारपुर में थाना भवन का मरम्मति कार्य (पुनर्निविदा)	2.47	5000	500	1 माह	पिछङ्ग जाति
3.	सहरसा जिलान्तर्गत बिहरा थाना में थाना भवन का जीर्णोद्धार कार्य (पुनर्निविदा)	2.02	4100	500	1 माह	सामान्य
4.	सहरसा जिलान्तर्गत सदर थाना में थाना भवन का जीर्णोद्धार कार्य (पुनर्निविदा)	2.51	5100	500	1 माह	अत्यंत पिछङ्ग
5.	सहरसा जिलान्तर्गत सहरसा पुलिस लाईन में 12 लोअर सबौर्डिनेट आवास (ब्लौक-1) का मरम्मति कार्य (पुनर्निविदा)	4.34	8700	750	1 माह	सामान्य
6.	सहरसा जिलान्तर्गत महिला थाना एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति थाना भवन का जीर्णोद्धार कार्य (पुनर्निविदा)	1.34	2700	500	1 माह	अनुसूचित जाति
7.	सहरसा जिलान्तर्गत पुलिस लाईन में सिपाही आवास ब्लौक-सी, 7 नं0 भवन का मरम्मति कार्य (पुनर्निविदा)	2.61	5300	500	1 माह	सामान्य
8.	सुपौल जिलान्तर्गत त्रिवेणीगंज थाना में 2 अपर सबौर्डिनेट आवास (ब्लौक-1) का जीर्णोद्धार कार्य (पुनर्निविदा)	3.86	7800	750	1 माह	पिछङ्ग जाति
9.	सुपौल जिलान्तर्गत त्रिवेणीगंज थाना में ए0एस0आई0 आवास (ब्लौक-1) का जीर्णोद्धार कार्य (पुनर्निविदा)	2.26	4600	500	1 माह	अत्यंत पिछङ्ग

10.	सुपौल जिलान्तर्गत सुपौल सदर थाना में 2 लोअर सबौर्डिनेट आवास (ब्लौक-सी) का जीर्णोद्धार कार्य (पुनर्निविदा)	3.62	7300	750	1 माह	अत्यंत पिछ़ा
11.	सुपौल जिलान्तर्गत सुपौल सदर थाना में 2 लोअर सबौर्डिनेट आवास (ब्लौक-ई) का जीर्णोद्धार कार्य (पुनर्निविदा)	3.79	7600	750	1 माह	पिछ़ा जाति
12.	मधेपुरा जिलान्तर्गत सिंधेश्वर थाना में ए०ए०आ०३० आवास (ब्लौक-२) का मरम्मति कार्य (पुनर्निविदा)	0.96	2000	500	1 माह	अनुसूचित जाति
13.	कटिहार जिलान्तर्गत मंडल कारा कटिहार में कैन्टीन का निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	7.36	14800	1250	2 माह	अत्यंत पिछ़ा वर्ग
14.	बाँका जिलान्तर्गत सुईया थाना में SRE योजना के तहत प्रकाश व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण का कार्य (पुनर्निविदा)	0.64	1300	500	1 माह	पिछ़ा वर्ग
15.	बाँका जिलान्तर्गत आनंदपुर थाना में SRE योजना के तहत प्रकाश व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण का कार्य (पुनर्निविदा)	0.64	1300	500	1 माह	सामान्य
16.	बाँकां जिलान्तर्गत बेलहर थाना में SRE योजना के तहत प्रकाश व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण का कार्य (पुनर्निविदा)	0.64	1300	500	1 माह	अत्यंत पिछ़ा वर्ग
17.	बाँका जिलान्तर्गत चान्दन थाना में SRE योजना के तहत प्रकाश व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण का कार्य (पुनर्निविदा)	0.60	1200	500	1 माह	सामान्य
18.	बाँका जिलान्तर्गत बरहट थाना में SRE योजना के तहत प्रकाश व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण का कार्य (पुनर्निविदा)	0.55	1100	500	1 माह	अनुसूचित जाति
19.	बाँका जिलान्तर्गत जयपुर थाना में SRE योजना के तहत प्रकाश व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण का कार्य (पुनर्निविदा)	0.53	1100	500	1 माह	सामान्य
20.	बाँका जिलान्तर्गत शम्भूगंज थाना में SRE योजना के तहत प्रकाश व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण का कार्य (पुनर्निविदा)	0.61	1300	500	1 माह	पिछ़ा वर्ग महिला
21.	बाँका जिलान्तर्गत कटोरिया थाना में SRE योजना के तहत प्रकाश व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण का कार्य (पुनर्निविदा)	0.72	1500	500	1 माह	सामान्य
22.	बाँका जिलान्तर्गत रजौन थाना में SRE योजना के तहत प्रकाश व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण का कार्य (पुनर्निविदा)	0.67	1400	500	1 माह	अत्यंत पिछ़ा वर्ग
23.	बाँका जिलान्तर्गत धोरैया थाना में SRE योजना के तहत प्रकाश व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण का कार्य (पुनर्निविदा)	0.77	1600	500	1 माह	सामान्य
24.	बाँका जिलान्तर्गत फुल्लीडुमर थाना में SRE योजना के तहत प्रकाश व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण का कार्य (पुनर्निविदा)	0.63	1300	500	1 माह	पिछ़ा वर्ग
25.	बाँका जिलान्तर्गत खेसर थाना में SRE योजना के तहत प्रकाश व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण का कार्य (पुनर्निविदा)	0.47	1000	500	1 माह	सामान्य
26.	बाँका जिलान्तर्गत बंधुवा कुड़ावा थाना में SRE योजना के तहत प्रकाश व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण का कार्य (पुनर्निविदा)	0.65	1300	500	1 माह	अनुसूचित जाति

27.	बैंका जिलान्तर्गत अमरपुर थाना में SRE योजना के तहत प्रकाश व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण का कार्य (पुनर्निविदा)	0.67	1400	500	1 माह	सामान्य
28.	भोजपुर जिलान्तर्गत आयर थाना में 10 सिपाहियों के बैकर में विद्युतिकरण कार्य	0.85	1700	500	1 माह	अनुसूचित जाति
29.	पटना जिलान्तर्गत सिटी चौक थाना में विद्युतिकरण का कार्य	9.95	19900	1250	2 माह	सामान्य

10. निविदा वैधता की अवधि 180 दिन होगी ।
11. निविदा में परिमाण विपत्र से 10% से अधिक कम दर उद्धृत करने वाले निवादाता की निविदा अमान्य मानी जायेगी । परिमाण विपत्र की दर से कम दर देने वाले निवादाता से Additional Performance guarantee रूप में अतिरिक्त अग्रधन की राशि लिया लायेगा ।
12. इस निविदा की अन्य जानकारी एवं आवश्यक शर्तें अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय तथा प्रमण्डलीय कार्यपालक अभियन्ता के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर कार्यावधि में देखी जा सकती है । इसके लिए सम्बन्धित पदाधिकारी से सम्पर्क भी तदनुसार किया जा सकता है ।
13. अग्रधन की राशि 6/5 वर्षीय बचत प्रमाण—पत्र (आठवां निर्गम) / बैंक ड्राफ्ट एवं किसान विकास—पत्र जो कार्य से संबंधित कार्यपालक अभियन्ता के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञापित हो, दिनांक—13—07—2016 तक का बना हुआ ही मान्य होगा । पर्याप्त अग्रधन के अभाव में निविदा अमान्य समझी जायेगी ।
14. परिमाण—विपत्र बिक्री के समय संवेदक निम्न वर्णित अद्यतन अभिलेखों की स्व—अभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ प्रस्तुत करेंगे एवं उनकी मूल प्रति जाँच एवं अवलोकन हेतु प्रस्तुत करेंगे :—आयकर पैन नं. बिक्रीकर निबंधन उचित श्रेणी का निबंधन प्रमाण—पत्र तथा जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त वैध चरित्र प्रमाण—पत्र । निविदा के साथ भी उपर्युक्त सभी अद्यतन प्रमाण—पत्रों की पठनीय अभिप्रमाणित फोटो प्रति देना अनिवार्य है । अन्यथा निविदा अमान्य समझी जायेगी । अद्यतन प्रमाण—पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन की प्राप्ति रसीद मान्य नहीं होगा ।
15. लोक सेवक निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे ।
16. एकाधिक सफल निविदाकारों का उद्धृत दर समान होने पर लॉटरी के आधार पर चुने गये निविदाकार के साथ ही दर प्रक्रमण किया जायेगा एवं उसी निविदाकार को नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा ।
17. निगम द्वारा अनुमोदित विशिष्टि का सीमेंट एवं स्टील सम्वेदक स्वयं आपूर्ति करेंगे । सीमेंट आई०एस० 8112—1989, आई०एस० 455—1989 छड़ बी०आई०एस० 1786 के अनुरूप होना चाहिए तथा आई०एस०ओ० 9001/9002, आई०एस०ओ० 14001—1996 प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
18. किसी कार्य की प्रथम वार एकल निविदा प्राप्त होने पर उसकी पुनर्निविदा अल्पकालीन निविदा के रूप में आमंत्रित की जायेगी ।
19. किसी एक या सभी निविदाओं को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार निगम को सुरक्षित होगा ।
20. कार्य की प्राक्कलित राशि में कमी या वृद्धि हो सकती है, तदनुसार परिमाण—विपत्र के अनुसार अग्रधन की राशि देय होगी ।
21. अग्रधन के संबंध में तथा अन्य शर्तें परिमाण विपत्र के साथ दस्तावेज में देखी जा सकती है ।
- 22(क) आरक्षित कोटे की निविदा में भाग लेने हेतु कार्य की प्राक्कलित राशि के अनुरूप समुचित श्रेणी में यथा प्रावधानित ठीकेदारी पंजीकरण कराना निगम में आवश्यक होगा, जिसका पंजीकरण शुल्क 3000/- (तीन हजार रुपये) होगी । इस श्रेणी में निबंधित संवेदक 15.00 लाख तक की निविदा में हीं भाग ले सकते हैं । जो संवेदक पूर्व से निगम में निबंधित हैं एवं आरक्षित कोटि के हैं, वे निविदा में भाग ले सकते हैं । उन्हें पुनः निबंधन कराना अनिवार्य नहीं होगा ।
- 22(ख) अन्य सरकारी विभाग यथा—सभी कार्य विभाग, योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, निगम, उपकम, प्राधिकरण, परिषद् एवं निकाय के निबंधित सम्वेदक भी निविदा देने हेतु सक्षम होंगे, परंतु निविदित कार्य आवंटित होने पर एकरानामा के पूर्व उन्हें निगम में निबंधन कराना अनिवार्य होगा । अगर किसी संवेदक को पूर्व में निगम से कार्य किसी अन्य विभाग के निबंधन पर आवंटित हुआ है तथा उनके द्वारा अभी तक निगम में निबंधन नहीं कराया गया है तो वैसे संवेदक निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे ।
23. निम्न संवेदक निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे :— (i) डिवार (Debar) या काली सूची में दर्ज, (ii) जिनके पास एकरानामा के अनुसार कार्य समाप्ति के तिथि के पश्चात् अकारण कार्य लम्बित हो, (iii) जो संवेदक कार्य आवंटन के उपरान्त निर्धारित अवधि में एकरानामा नहीं किए हैं एवं (iv) जो संवेदक कार्य आवंटन के बाद एकरानामा कर लिए हों, परन्तु कार्य प्रारम्भ नहीं किए हों ।
24. विद्युतीकरण कार्य एवं विद्युतीकरण कार्य सहित भवन की निविदा के लिए विद्युतीकरण कार्य का लाईसेंस होना अनिवार्य होगा । विद्युतीकरण कार्य के संवेदक को सब कांट्रैक्टर के रूप में रखकर भी निविदा में भाग लिया जा सकता है जिसके लिए उभयपक्ष द्वारा इस आशय का शपथ—पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा ।
25. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि या निविदा प्राप्ति/खोलने की तिथि के दिन किसी कारणवश सरकारी अवकाश घोषित हो जाने पर यह तिथि अगले कार्य दिवस को स्वतः निश्चित समझा जायेगा ।
26. परिमाण विपत्र का मूल्य मात्र शेड्यूल्ड बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के द्वारा दिनांक—11—07—2016 तक का ही बना हुआ स्वीकार होगा, जो महानिदेशक—सह—अध्यक्ष—सह— प्रबन्ध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के नाम हो एवं पटना में भुगतेय हो ।

27. सभी गैर-अनुसूचित मदों का दर ( शून्य या अस्पष्ट दर नहीं भरना है ) संवेदक द्वारा यथोचित स्थान पर अंकित किया जाना अनिवार्य होगा । इसके अभाव में निविदा अमान्य मानी जायगी ।
28. निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र की भाषा सांकेतिक है ।
29. निविदा खोलने के समय निविदाकार या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे एवं यथा निदेशित अभिलेखों पर हस्ताक्षर करेंगे ।
30. निविदा कागजात अध्याय-6 कंडिका-6.11 में निविदाकार द्वारा निविदा के साथ संलग्न किए गए सभी कागजातों की विवरणी अंकित करना अनिवार्य है अन्यथा बाद में किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं होगा ।
31. निविदाकार या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निविदा एवं संलग्न सभी कागजातों पर वायें तरफ हस्ताक्षर करना अनिवार्य है ।
32. अनुसूचित जाति, अनुसूचित अनजाति एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के एक संवेदक को एक वित्तीय वर्ष में उक्त प्रावधानों के अधीन सभी कार्य विभाग, योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, निगम, उपकम, प्राधिकरण, परिषद् एवं निकाय द्वारा आवंटित कार्य की अधिकतम सीमा रु0 25.00 लाख (पच्चीस लाख) होगी । इस हेतु संबंधित निविदादाता को एक शपथ पत्र के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष में विषयांकित प्रावधान के आधार पर अब तक उन्हें आवंटित सभी कार्यों की कुल राशि की शपथ पत्र ( Affidavit ) देना अनिवार्य होगा ।
33. नियमानुसार अंकित क्रमांक कोटिवार आरक्षण के तहत आरक्षित किया जाता है । सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रामाणित प्रति तथा शपथ पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा । निविदाकार द्वारा दी गई सूचना गलत पाये जाने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा विषयांकित सुविधा से उन्हे हमेशा के लिए बंचित कर दिया जाएगा ।

*25/6/16* 25-6-2016  
मुख्य अभियंता,

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना ।

ज्ञापांक— एच०क्यू— 2607 (A)

पटना, दिनांक— 25-06-2016

प्रतिलिपि— कार्यपालक अभियन्ता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, कार्य प्रमण्डल — पटना, पूर्णियाँ एवं भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित ।

*25/6/16* 25-6-2016  
मुख्य अभियंता,  
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना ।

ज्ञापांक— एच०क्यू— 2607 (A)

पटना, दिनांक— 25-06-2016

प्रतिलिपि— मुख्य तकनीकी परामर्शी, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल— 1/2, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना / कार्यपालक अभियंता—मौनिटरिंग, राजगीर, मगध—कैम्प डेहरी, मुजफ्फरपुर, कैम्प—हाजीपुर एवं दरभंगा, / सहायक प्रावैधिक सचिव/निरूपण—1/2 / सचिव/ मुख्य लेखापदाधिकारी/ कार्यालय अधीक्षक (कार्य), बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

*25/6/16* 25-6-2016  
मुख्य अभियंता,  
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना ।

ज्ञापांक— एच०क्यू— 2607 (A)

पटना, दिनांक— 25-06-2016

प्रतिलिपि— वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/पुलिस अधीक्षक, बाँका, कटिहार, सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा को सूचनार्थ ।

*25/6/16* 25-6-2016  
मुख्य अभियंता,  
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना ।